| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 28-02-2024 | **वाद सं0–02 / 2024**<br><br>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य, ग्राम–बिजका, पं0–बिजका, प्र0–भण्डरिया, गढ़वा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित।<br><br>आयोग के आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित होकर शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतकर्ता ने भी ये कहा कि सिर्फ एक लाभुक को छोड़कर सभी लाभुक को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। लाभुक श्रीमती लोबनी देवी, जिनका कार्ड संख्या–20202072995 है, उनको खाद्यान्न नहीं मिलने की बात कही गई है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया है कि वो श्रीमती लोबिन देवी को भी राशन उपलब्ध करा दें। शिकायतकर्ता ने दूरभाष पर बताया कि उनकी सभी शिकायतें समाप्त हो जायेंगी यदि श्रीमती लोबनी देवी को भी राशन उपलब्ध करा दिया जाय। सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि श्रीमती लोबनी देवी को राशन उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आश्वासन को स्वीकार करते हुए आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। लेकिन आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस आशय का स्पष्टीकरण पेश करने का निदेश देता है कि 12.02.2024 की सुनवाई में आयोग को भ्रामक जानकारी किस परिस्थिति में उपलब्ध कराई गई ?<br><br>गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को ये बताया था कि उन्हें पिछली सुनवाई 30.01.2024 की सुनवाई मेल के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जबकि आयोग ने प्रोग्रामर से तकनिकी पड़ताल कराई तो जांच में ये बात सामने आई कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजा गया मेल sent प्रदर्शित हो रहा है।<br><br>ऐसे में आयोग ये मान रहा है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो अपना विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से बतायें कि आयोग उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा क्यों न करें ? जिला आपूर्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन यदि अगली सुनवाई में नहीं आया या संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.03.2024 को रखें।<br><br>**(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>**(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची। | |